

## महत्वपूर्ण सूचना

### सभी एफडीधारक ध्यान दें

१ अप्रैल, २०१० से प्रभावी संशोधित आयकर विनियमों के अनुसार, जब इसकी कटौती करवाने वाले ने कटौती करने वाले के समक्ष अपनी पैन संख्या का उल्लेख न किया हो तो बस दशमंटी डीएस (टैक्स डिडकटेड एट सोर्स) मौजूदा दर के बजाय ऊंची दर से काटा जाएगा।

पैन संख्या का उल्लेख नहीं होने पर नई डीएस दरें निम्नानुसार हैं:

स्थिति	वर्तमान दर प्र.व.	नई दरें प्र.व. (१ अप्रैल, २०१० से प्रभावी)
निवासी व्यक्ति	१०%	२०%
अनिवासी व्यक्ति	३०%	३०%

इसके अलावा ग्राहकों द्वारा जमा किए गए प्रपत्र क्र. १५एच/१५जी पर भी पैन संख्या प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

अतः आपसे अनुरोध है कि १ अप्रैल, २०१० से प्रभावी ऊंची दरों पर टीडीएस की कटौती से बचने के लिए आप बैंक रिकॉर्ड्स में अद्यतन करने हेतु अपने पैन कार्ड की प्रति जल्द से जल्द जमा करवाएं।